

[श्री बालबीकी]

मैंने पहले भी कहा था कि श्री०पी० उम्मत्यू डी० में सलाइ आदि में आक्षयन था जो ठेंदे दिये जाते हैं उनमें कुछ अल्टाचार नवार आता है। मैं यह कहता चाहता हूँ कि जब हम बुलियों के नामने ऊंचे उठता चाहते हैं तो हमारा नीतिक स्तर उठता चाहिये और हमारे देश में जो काम हो उन में नीतिकता दिखायी दे। अल्टाचार चाहे वह छोटे कर्मचारियों में हो या बड़े कर्मचारियों में हो उसको रोकने का त्रैन किया जाना चाहिये।

अन्त में मैं फिर कहता हूँ कि युझे आशा है कि आप बल लगाकर हाउसिंग मिनिस्टर्स कानफरेंस में जो प्रस्ताव पाप हुआ है उसके अनुपार भणियों की आवास समस्या की ओर विशेष प्रयान देंगे और इन काम के लिये बारह चौदह करोड़ रुपया खाली तौर पर मेरे अलग रखेंगे। नभी उनके लिये काम हो सकेगा। मैं आशा करता हूँ कि आप राज्य बरकारों को भी हिनावा की कोणिग करेंगे कि वे भी भणियों के लिये कुछ कार्य करें। और इस कार्य के नई आस करें।

मैं इन शब्दों के साथ मंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ कि उनकी दक्षता और बाबाटुना से इस मंत्रालय का महत्व बढ़त बढ़ा है और आशा है कि धीरे धीरे वह अल्टाचार का भी उन्मूलन कर सकेंगे। मैंने हाउसिंग मिनिस्टर्स कानफरेंस में कहा था कि ईमान इस मंत्रालय में शीताल बन गया है। लेकिन आशा है कि मंत्री जी की यह कोणियों से जीतान का रूप बदल कर किर देवता का रूप हो जायेगा। और इसमें ईमान तथा मत्यना का समावेश हो सकेगा। इस के लिये यह मंत्रालय नामवरी हासिल करेगा।

इन शब्दों के साथ मैं आप को धन्यवाद देना हूँ।

सरदार अ० तिं० सहगल (जंजीर):
माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बर्क्स, हाउसिंग

और सलाइ के मंत्रालय की जो हिमाइह हाउस दे सामने रखी गयी है उनका समर्वा करने हुए मैं मंत्रालय से इस बात को प्राप्ति करूँगा कि ५० मैरुड़ा जो कि हमें लोन दिया जाना है उसका कम से कम योद्धा वह बड़ा योग्य और ३० से ५० मैरुड़ा पर ते जायेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा।

उपाध्यक्ष महोदय : बासि सोमशार को मही। अब नान आकिनियन बिजनेस नहीं।

COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS' BILLS AND RESOLUTIONS

EIGHTEENTH REPORT

Sardar A. S. Salgal (Janjgir): Sir, I beg to move:

"That this House agrees with the Eighteenth Report of the Committee on Private Members' Bills and Resolutions presented to the House on the 26th March, 1958."

Mr. Deputy-Speaker: The question is:

"That this House agrees with the Eighteenth Report of the Committee on Private Members' Bills and Resolutions presented to the House on the 28th March, 1958."

The motion was adopted.

**RESOLUTION RE:
RESETTLEMENT OF EAST PAKISTAN DISPLACED PERSONS—contd.**

Mr. Deputy-Speaker: The House will now resume further discussion of the Resolution moved by Shri Tanganmani on the 14th March, 1958 regarding resettlement of East Pakistan displaced persons.

Out of 2 hours allotted for the discussion of the resolution, one minute